कलश स्थापना संपन्न

बिजयनगर, (निसं)। तेजा चोक स्थित श्री त्रिवेणी माता मंदिर में श्री त्रिवेणी माता जी, शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना के पांच दिवसीय धार्मिक आयोजन विधि विधान के साथसंपन्न किए गए। त्रिवेणी माता मंदिर तेजा चौक में त्रिवेणी माता मंदिर, श्री शिव परिवार की मूर्ति स्थापना अभिजीत मुहूर्त में वयोवृद्ध आचार्य पंडित नथमल पुरोहित बीकानेर के सानिध्य मेंवैदिक मंत्रोचार के साथ विधि विधान से संपन्न हुईत पांच दिवसीय कार्यक्रम में त्रिवेणी महिला मंडल की महिलाओं ने गरबा नृत्य हल्दी मेहंदी भजन कीर्तन के साथ आनंद लिया कलश स्थापना में त्रिवेणी माता मंदिर की ज्योत बाड़ी माता मंदिर से ढोल नगाड़े के साथ लेकर पहुँचे। आयोजित कार्यक्रम मेंपालिका अध्यक्ष अनीता इंद्रजीत मेवाड़ामहेश टाक वेद प्रकाश सोनी सुनील दत्त ओझा राकेश जोशी निलेश मेहता पार्षद राजकुमार असवानीअमित जोशी पूज्य सिंधी पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बंटी रामचंदानी योगेश दुबे मुकेश जोशी ललित वैष्णव राजेश मेवाड़ा संदीप व्यासअशोक पारीक सहितत्रिवेणी माता मंदिरसेवा समिति केसदस्य पदाधिकारीमौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन रखा गया जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

जांच पड़ताल में पट्टे का फर्जी पंजीयन होने की जानकारी आई सामने

- रामगढ़ ग्राम पंचायत का फर्जी पट्टा प्रकरण फर्जी पट्टे का बिजयनगर के उप पंजीयक के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी सील मोहर से हो गया पंजीयन
- पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों की धुलमुल नीति भी सन्देह के घेरे में

मसूदा, (निसं)। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की रामगढ़ ग्राम पंचायत के मजरा गारियों की नाड़ी की एक महिला के नाम फर्जी पट्टा बनाए जाने के सामने आए मामले में पंचायत समिति के विकास अधिकारी के आदेश पर पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण द्वारा की गई जाँच में सरपंच लाड़ कँवर ने एवं बतौर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के हो रखे हस्ताक्षर के बारे में स्पष्ट इन्कार करने के बाद पट्टे के फर्जी होने का खुलासा हो गया था। पर न तो ग्राम पंचायत ने ही और न हीं पंचायत समिति ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की।

रामगढ ग्राम पँचायत की पट्टा बुक एवं सरपंच व ठाम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों से जिस पट्टे को तैयार किया गया उस फर्जी पट्टे का बिजयनगर के तहसील कार्यालय में उप पंजीयक के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी सील मोहर से पंजीयन भी हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो फर्जी पट्टा प्रकरण में एक और फर्जीवाड़ा होना कहा जा सकता है। जांच पड़ताल में फर्जी पट्टे का फर्जी पंजीयन होने की जानकारी सामने आई है। यहां पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है कि संबंधित फर्जी पट्टे की हुई जांच में पट्टे के फर्जी पाए जाने के बावजूद किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाई है अलबत्ता फर्जी पट्टा प्रकरण में पट्टे का पंजीयन भी फर्जी होने से फर्जीवाड़े के इस मामले में ठामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नाम से किए गए फर्जीवाड़े के साथ ही पट्टे का पंजीयन भी फर्जी होने से राजस्व विभाग के पंजीयन विभाग के नाम से भी फर्जीवाडा किए जाने में एक ओर बिन्दु जुड़ गया है। इस फर्जी पट्टे के मामले में गहनता से की गई जांच पड़ताल में इस फर्जी पट्टा प्रकरण में और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें रामगढ़ ठाम पंचायत की फर्जी पट्टा बुक फर्जी रशीद एवं सरपँच लाड़ कँवर एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकबूल काठात के फर्जी हस्ताक्षर एवं सील मोहर से फर्जी तौर पर बनाए गए फर्जी पट्टे का बिजयनगर तहसील के पंजीयक के बतौर फर्जी हस्ताक्षर एवं फर्जी सील मोहर से पट्टे का फर्जी तरीके से पंजीयन भी हो गया। फर्जी पट्टा प्रकरण में मसूदा पंचायत समिति के विकास अधिकारी के आदेश पर गई जाँच में पट्टे के फर्जी होना प्रमाणित होने के बावजूद की जाने वाली कार्यवाही की तो हवा निकलती दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ ही इस फर्जी पट्टे का पँजियन भी फर्जी होना सामने आने के मद्देनजर अब इस मामले में कार्यवाही करने के लिए पँचायतराज विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ ही अब राजस्व विभाग (पँजियन)विभाग के अधिकारियों पर भी इस मामले में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी तय होना स्वभाभिक है। फर्जी पट्टे की जांच में पुख्ता सबूत के बावजूद कार्यवाही नहीँ करने में अधिकारियों की आखिर क्या मजबूरी, यह तो वे ही जाने पर पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ ही पट्टे का फर्जी पंजियन होने से राजस्व विभाग के अधिकारियों की सक्रियता एवं तत्परता के दावों की हवा निकलती दिखाई दे रही है। फर्जी पट्टे के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला अब न्यायालय में जा पहुंचा है और अब इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की कार्यवाही होना तय हो गया है। इस मामले में नामजद आरोपियों के साथ ही एक ठाम विकास अधिकारी को भी नामजद आरोपियों में शामिल किया गया है।

प्रजापति समाज ने श्रीयादे माता की जयंती मनाई

अजमेर, (कासं)। प्रजापति समाज ने अपनी आराध्य देवी श्रीयादे माता की जयंती शुक्रवार को धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर समाज के 500 परिवारों ने जवाहर रंगमंच से एक भव्य वाहन रैली निकाली। रैली में 201 महिलाएं मंगल कलश लेकर यात्रा में शामिल हुईं और रैली का शहरभर में स्वागत किया गया। रैली पर रास्ते में जगह-जगह फूल बरसाए गये। रास्ते में मंच बनाकर स्वागत किया।

मीडिया प्रभारी पूनमचंद प्रजापति ने बताया कि पहले समाज के लोग अपने घरों में ही माता की पूजा करते थे, लेकिन समाज के एकजुट प्रयासों से 20 साल पहले घूघरा घाटी में श्रीयादे माता का मंदिर स्थापित किया गया।

यह मंदिर शहर का एकमात्र बड़ा श्रीयादे माता का मंदिर है और अब यह पूरे प्रजापति समाज का आराध्य स्थल बन चुका है।

इस मौके पर दो दिवसीय जयंती महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रीयादे माता मंदिर, छात्रावास और संग्रह केंद्र की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रैली का समापन घूघरा घाटी स्थित मंदिर में हुआ, जहां महाआरती का आयोजन किया गया और भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की।

सार-समाचार

राजकीय विद्यालय में स्वेटर वितरित किये

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)।सदभावना सेवा ट्रस्ट व स्माइल फांउडेश द्वारा राजकीय विद्यालयो में जरूरतमंद बच्चों को सवेटर वितरण किये। भामाशाह शम्भू सिंह चोरडिया व कमला चौधरी के सौजन्य से जगमाल गुर्जर द्वारा चयनित राजकीय विद्यालय सरगांव, बीती, चांदना ढाणी, जोगियों का नाडा, तिलोनिया, सील, सांदोलिया, बडला ढाणी, मोठी, काकलवाडा स्थित राजकीय विद्यालयो में करीब 325 जरुरतमंद विद्यार्थियों को सर्दी के बचाव हेतु स्वेटर वितरित किये। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सीमा मेडतिया, हिम्मत सिंह राजपुरोहित, नन्दसिंह, भोलाराम चौधरी, विजयसिंह गुर्जर, समाजसेवी रमेश मालू, सज्जन सिंह, रूपनारायण टेलर, रामलाल चौधरी, तेजसिंह, विष्णुकांता पारीक, रामू यादव आदि मौजूद रहे। समाजसेवी शम्भुसिंह चौरडिया द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदोलिया में हार्मोनियम-ढोलक सेंट देने की भी घोषणा की।

दिल्ली विधानसभा चुनाव

अजमेर, (कासं)। दिल्ली विधानसभा के 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार को अजमेर से 400 होमगार्ड जवान दिल्ली रवाना हुए। ये सभी जवान कंपनी कमांडर आशाराम के नेतृत्व में दिल्ली में सेवाएं देंगे। होमकांड कमांडर बलवीर सिंह ने बताया कि अजमेर से 5 रोडवेज बसों के माध्यम से 400 जवानों दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, इनके साथ मेडिकल किट सहित आवश्यक खाद्य सामग्री रवाना की जा रही है। सभी होमगार्ड जवान चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 6 फरवरी को अजमेर लौट आएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन जवानों की ड्यूटी विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में होमगार्ड, पुलिस और अद्र्धसैनिक बलों की विशेष तैनाती की जाती है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अजमेर के ये होमगार्ड जवान भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान केंद्रों पर अपनी सेवाएं देंगे।

सीपीआर ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)।सखी सहेली संस्था व एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में पब्लिक स्कूल में सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान लोगों को सीपीआर देते दिखे। कोई चेस्ट पर कंप्रेशन दे रहा है तो कोई मुंह से सांस दे रहा है, ऐसे वीडियो देखे गये। सीपीआर यानी की बेसिक लाइफ सपोर्ट की तकनीक आमजन को सीखनी चाहिए, ताकि किसी भी दुर्घटना के समय आपात स्थिति में इंसान की जान बचाई जा सके। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चों को यह तकनीक जरूर आनी चाहिए। उक्त विचार अध्यक्ष डॉ मंजू राठी ने व्यक्त किये। उन्होंने सीपीआर तकनीक का डेमोंसट्रेशन डमी पर कर दिखाया। सीपीआर देने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसे स्वयं दे सकते है। प्रिंसिपल संगीता, सचिव बबीता संचेती, ललिता सारडा मौजूद रही।

आयुर्वेदिक लेमन चाय पिलाई

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)।पतंजलि योग समितिव सुबह के साथी ठ्रुप द्वारा करीब नो सौ लोगो को आयुर्वेदिक लेमन चाय पिलाई। योग शिक्षक प्रभुदयाल तूनगरिया ने बताया लेमन चाय शरीर के लिये काफी लाभदायक है, इससे गैस, ब्लड शुगर, कफ सहित कई बीमारियों से निजात मिलती है। प्रभारी सरोज शर्मा, सह प्रभारी सुरेश अजमेरा, राजकुमार मेघानी, गजेंद्र सैन, गजेंदर सेन, रमेश त्रिपाटी,ओमप्रकाश जेथलिया, जितेंद्र राठी, देवेंद्र सैन, सत्यनारायण, जगदीश जोशी, ललिता, अंजू, रानी जैन, आभा, सारिका मौजूद रही।

समारोह आज

अजमेर, (कासं)। हिंद सेवा दल, सिन्धु ज्योति सेवा समिति एवं तारा गरबा मंडल द्वारा शनिवार को सूचना केंद्र में सांय 4.30 बजे से शहीद हेमू कालाणी राष्ट्रीय पुरस्कार व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्था के प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद महानरेगा के लोकपाल सुरेश सिंधी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी होगी।

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की श्री इब्राहीम खान, हानिफ खान एवं अजीज खान पुत्र हीरा खान ग्राम चौरसियावास, तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 1419 प्लाट नंबर 05 में क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपति हो तो आम सुचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कारवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की श्री नितिन जैन पुत्र मुकेश जैन ग्राम चौरसियावास, तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 1419, 1245, 1246, 1247, प्लाट नंबर 06 में क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपति हो तो आम सुचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कारवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नितिन जैन पुत्र मुकेश जैन ग्राम चौरसियावास, तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 1419, प्लाट नंबर 06 में क्षेत्रफल 92.77 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपति हो तो आम सुचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कारवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

गिव-अप अभियान की तिथि अब 28 फरवरी तक

अजमेर, (कासं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि योजना में लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए इस अभियान की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक की गई है। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्रा व्यक्तियों तक पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी एवं अधिकारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के राशन दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी राशन दुकानों पर उपलब्ध है। रसद विभाग ने चेतावनी दी है कि 28 फरवरी तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्रा और सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और बाजार दर (लगभग 27 रूपए प्रति किलो) से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। गिव-अप अभियान के पश्चात् भी योजना से नाम नहीं हटवाने वाले व्यक्तियों से रिकवरी राशि वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि विभाग को अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम लगभग 1500 व्यक्तियों द्वारा गिव-अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्तियों के नाम काटे जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) रतन कौर तथा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नीरज कुमार जैन ने अधिक से अधिक सक्षम व्यक्तियों से योजना का लाभ लेने तथा भारी पेनल्टी से बचने का आ ान किया है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन

- सोफिया स्कूल में सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ

अजमेर, (कासं)। प्रदेश में 1 से 31 जनवरी तक मनाए गए राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह का समापन शुक्रवार को सोफिया सीनियर सैकंडरी स्कूल समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने माह भर में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह अभियान का समापन शुक्रवार को समारोह पूर्वक सोफिया स्कूल कार्यक्रम के साथ हुआ। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के तहत चलाए गए सडक़ सुरक्षा अभियान की थीम परवाह (केयर) थी। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा माह के तहत जिले में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि आमजन को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। समापन समारोह के दौरान सडक़ सुरक्षा पर विशेष फिल्म दिखाई गई, जिसमें यातायात नियमों के महत्व को समझाया गया। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर (हृदय गति रुकने पर आपातकालीन सहायता) की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों द्वारा सडक़ सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर एक लघु नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित : सडक़ सुरक्षा माह अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों सहित विद्यार्थियों को सम्मानित किया। निबंध, पोस्टर, स्लोगन, प्रश्नोत्तरी और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों को भी पुरस्कृत किया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुमन भाटी ने सडक़ सुरक्षा माह के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत सडक़ सुरक्षा शिविरए हेलमेट जागरूकता रैली, यातायात नियमों की वर्कशॉप और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं।

स्थानांतरण आदेश निरस्त

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)। किशनगढ़ में 1956 से संचालित राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय को केकड़ी स्थानांतरण के लिए जारी आदेश को निरस्त कर राज्य सरकार ने किशनगढ़ में ही यथावत रखने का फैसला कर आमजन भावनाओं का सम्मान किया।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या A-427 क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज के आवंटी / अन्तरिति (1) श्रीमती दुर्गा रामनानी पत्नि श्री गोप रामनानी (2) श्री गोप रामनानी पुत्र सेउमल रामनानी निवासी 3-क-1 अजयनगर अजमेर जिसमें (1) गोप रामनानी पुत्र सेउमल की मृत्यु दिनांक 18/2/18 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसो क्रमश (1) श्रीमती दुर्गा रामनानी पत्नि स्व. गोप रामनानी (2) श्रीमती अंजू ज्ञानचंदानी पुत्री स्व. गोप रामनानी पत्नि जयकिशन ज्ञानचंदानी (जयपुर) (3) नरेश रामनानी पुत्र स्व. गोप रामनानी निवासी 3-क-1 अजय नगर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सदार नरेश रामनानी पुत्र स्व. गोप रामनानी निवासी 3-क-1 अजयनगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 28/1/2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध मे किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.
गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर 01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com
क्रमांक न.पा.बि/भूमि/2025/5328 **आम सूचना** दिनांक : 31.1.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कोलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें । समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आ मान्य नहीं होगी ।

क्र.सं	पत्रावली नं.	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं.	क्षेत्र
1.	55	बाबूदीन मेहबूब मंसूरी मेहबूब करीमबक्ष मंसूरी	ऋषि कॉलोनी बरल द्वितीय	984	07	138.88 वर्गगज
2.	56	बाबूदीन मेहबूब मंसूरी मेहबूब करीमबक्ष मंसूरी	ऋषि कॉलोनी बरल द्वितीय	984	08	138.88 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./भवन/24-25/799 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 31/1/2025

श्री मनीष चौरसिया पुत्र श्री विजय कुमार चौरसिया निवासी 9 चौरसिया भवन प्रभात सिनेमा के पीछे बापू नगर अजमेर द्वारा एक भूखण्ड जिसका निजी क्रमांक 13 जो ए.एम.सी. नं. 12/193 = 422/9 12/191 का भाग है, जो वाके हाथीभाटा अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 51.75 व. मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं । प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व : भूखण्ड संख्या 12 पश्चिम : भूखण्ड संख्या 14
उत्तर - प्राईवेट हाउस दक्षिण - आम रास्ता 20 फुट चौडा

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर - अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

Ajmer Municipal Corporation Ajmer

Municipal Corporation Ajmer (MCA), invites online responses ("Proposals"/"Bids") to this Expression of Interest ("EOI") from eligible concessionaires/ developers/ bidders to be appointed as PPP vendor for **""Construction of Convention Center and Institutional Infrastructure Near New Nagar Nigam Building Ajmer""**
The details of the same are as under.

S/n	Stage	Date/ Time
1	Organization	Municipal Corporation Ajmer (MCA)
2	NIT No.	MEW/2024-25/4184 Date 30.01.2025
3	Name of the Work	Construction of Convention Center and Institutional Infrastructure Near New Nagar Nigam Building Ajmer.
4	EOI Downloading Start Date	30.01.2025 Time 11.00 AM
5	Last date for sending pre-bid queries	Upto 09.02.2025 Time 6.00PM
6	Date, Time & Place of Pre- bid Meeting	10.02.2025 time 11.00AM at XEN North Chamber Nagar Nigam Ajmer
7	Last date for accessing EOI Document	01.03.2025 Time 6.00PM
8	Last date of Online Submission of Proposals	01.03.2025 Time 6.00PM
9	Date & Time for Opening of Proposals	02.03.2025 Time 10.30AM
10	Officer Inviting EOI Proposals	Executive Engineer
11	EOI Clarification and Queries Addressed to	ajmermc@gmail.com JEN Ashok Dhadhich 9461638248 call and Whatsapp

NIB CODE :-ANN2425A0188
UBN No. :-ANN2425SSOB00313
Executive Engineer
Ajmer Municipal Corporation Ajmer
Raj.Samwad/C/24/11094

कार्यालय में देर तक रोकने पर कर्मचारियों में रोष

- मेयर व आयुक्त को सौंपा मांग पत्र
- कहा अनावश्यक तनाव से मानसिक अवसाद में हैं कर्मचारी
- कार्यालय समय के बाद भी जबरन रोकने का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी

अजमेर, (कासं)। नगर निगम अजमेर में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रशासन हठधर्मीता के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। शुक्रवार को कर्मचारियों ने मेयर और आयुक्त को मांग पत्र सौंपकर प्रशासन द्वारा जबरन देर तक कार्यालय में रोके जाने की प्रथा समाप्त करने की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान प्रशासन से सहमति बनी थी कि कार्यालय समय समाप्त होने के बाद कर्मचारी को कार्यालय में रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन पुनः कर्मचारियों को देर तक रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

महापौर और आयुक्त को सौंपा मांग पत्र नगर निगम कर्मचारियों ने शुक्रवार को मेयर ब्रजलता हाड़ा और निगम आयुक्त देशल दान को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कर्मचारियों ने बताया कि अवकाश के दिनों में कार्यालय खोलने का आदेश केवल आवश्यक विभागों के लिए ही जारी किया जाए। जिन कर्मचारियों का कार्य ऑनलाइन किया जा सकता है, उन्हें कार्यालय बुलाने की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार पुनः शाखा प्रभारी को दिया जाए। प्रशासन द्वारा जबरन देर तक कार्यालय में रोके जाने की प्रथा समाप्त की जाए। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जाएगा।

मानसिक अवासद में कर्मचारी: कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार पूर्व में शाखा प्रभारी को था, लेकिन अब उच्च स्तर पर अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों ने हाल ही में जयपुर जिले में घटी दो घटनाओं का हवाला देते हुए निगम प्रशासन को चेताया है। जयपुर में एक सरकारी कर्मचारी ने अवकाश न मिलने के कारण मानसिक तनाव में आकर कार्यालय में ही आत्महत्या कर ली थी।

वहीं नगर निगम अजमेर के दो कर्मचारियों को भी हाल ही में दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। कर्मचारियों का कहना है कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव दिए जाने से वे भारी मानसिक अवसाद में हैं।
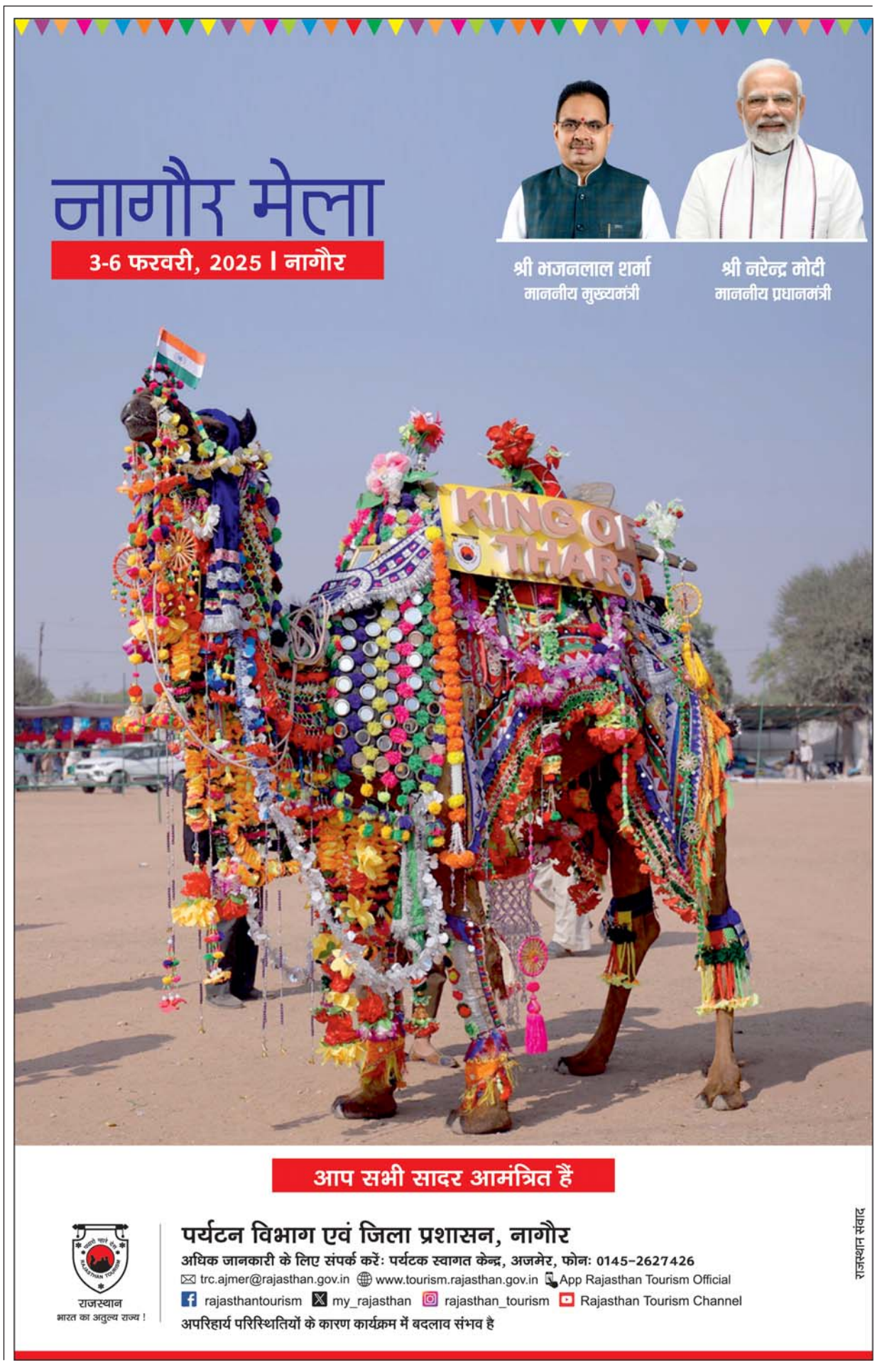
अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों पर बनाया जा रहा दबाव: निगम में कार्यरत 70 प्रतिशत कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यरत हैं, जिनकी पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियां पहले से ही कमजोर हैं। इन कर्मचारियों पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होता है। ऐसे में उन्हें राजकीय अवकाशों और यहां तक कि शनिवार-रविवार को भी कार्यालय बुलाया जा रहा है, जिससे भारी मानसिक तनाव में हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह इसी उद्देश्य से लागू किया था कि वे अपने परिवार को समय दे सकें, लेकिन निगम प्रशासन उनकी निजता का हनन कर रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।